14-05-2018

पत्रावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर सुना गया ग्राम हिंगोनिया का जमाबंदी संवत 2066-69 के खाता सं. नया - पुराना 185-656 खसरा नं. 442/3 5-10 किस्म चारागाह छितर, ओमप्रकाश पि. काना कौम हरिजन के नाम दर्ज है। वादी ने मूल खातेदार से आराजी क्रय कि है। क्रय करने के बाद वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु राजस्व रिकार्ड मे चरागाह दर्ज है। जो राजस्व कर्मचारियो कि भूल से हुई है अतः चरागाह के स्थानपर आराजी दर्ज कि जावे।

पेशोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया गया।

पेशोकार सरकार ने वादी के कथनो को अस्वीकार किया तथा बताया कि वाद पत्र को साबीत करने का दायित्व वादी पर है अतः वादी स्वयं सिद्ध करे। दमेन पक्ष कारान कि बहस पर गोर किया प्रार्थी वादी भूमि कि किस्म परिवर्तन करना चाहता है जबकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिसके लिए विभिन्न परिपत्र क्रमांक प०6(44) राज-6/2001/9 जयपुर दिनांक.07.04.2007 जारी किया गया अतः तहसीलदार सरवाड तदानुसार कार्यवाही करे।

इस न्यायालय स्तर से किस्म परिवर्तन संबंधी अनुतोष दिया जाना उचित नही पाया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय की डिवी बैंच द्वारा अब्दुल रहमान बनाम रा० राज्य रिट न० 1536/03 अ०द से गैर मुमकिन भूमियों पर पूर्व की स्थिति बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करें। आदेश मजमें आम हिंगोनिया में सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)